संख्या-1517564/2026

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव प्रबन्ध समिति,
उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी,
लखनऊ ।

खेल अनुभाग **लखनऊः दिनांक- 06-11-2026**

विषयः- जनपद गोरखपुर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सी0एस0आर0 फण्ड से सहायता प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1004/ स्पो0क0ल0 / (निर्माण) 2026, 03.11.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि इंडियन आयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा सी0एस0आर0 फंड के अन्तर्गत रू0 60.00 करोड़ की सहायता राशि में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 30.00 करोड़ एवं भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लि0 द्वारा सी0एस0आर0 फंड के अन्तर्गत रू0 30.00 करोड़ की सहायता राशि में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 15.00 करोड़ द उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी के स्टेट बैंक ऑफ यू0पी0 सिविल सचिवालय शाखा स्थित बैंक खाते में पृथक-पृथक तिथियों में प्राप्त हो चुके है। सी0एस0आर0 फंड की धनराशि को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित करने अथवा इसके व्यय/उपयोग की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु इंडियन आयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा सी0एस0आर0 फंड के अन्तर्गत रू0 60.00 करोड़ की सहायता राशि में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 30.00 करोड़ एवं भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लि0 द्वारा सी0एस0आर0 फंड के अन्तर्गत रू0 30.00 करोड़ की सहायता राशि में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 15.00 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0 45.00 करोड़ (रुपये पैंतालिस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

शर्तें / प्रतिबन्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) उक्त देय धनराशि रू0 45.00 करोड़ (रुपये पैंतालिस करोड़ मात्र) सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य न तो किसी अन्य प्रायोजना में स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित है।

(3) परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत/व्यय की जायेगी।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ/कार्यदायी संस्था की होगी तथा सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन / कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(9) सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ / कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(10) सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ द्वारा इण्डिया ऑयल कॉर्पोरेशन लि0 तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 से हुए एम0ओ0यू0 के अनुपालन में अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
7- जिलाधिकारी / क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, गोरखपुर।
8- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल) ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (भवन), पी0एम0जी0एस0वाई, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
13- नियोजन विभाग-4।
14- मुख्य प्रबन्धक, (एचआर- सीएसआर) इण्डिया ऑयल कॉर्पोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय-1 लखनऊ ई-मेल पता- banshi@indianoil.in
15- मैनेजर सी0एस0आर0 (बीपीसीएल) भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लि0 मुम्बई, ई-मेल पता- sasane@bharatpetroleum.in
16-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।